रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2012/भाद्र 28, 1934

No. 468] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2012/BHADRA 28, 1934

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 (ख) की उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 को, जहां तक उनका संबंध मूल्यांकन और अनुश्रवण अधिकारी, वित्त अधिकारी, निजी सचिव, लेखाकार, आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी "क", वैयक्तिक सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, स्टाफ कार ड्राइवर और चपरासी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप महानिरीक्षक	5* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 4 : 37400-67000 रु0 + ग्रेड वेतन 8900/- रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
10	11
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 : 37400-67000 रु0 + ग्रेड वेतन 8700 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चिड़ियाघर में या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट चिड़ियाघर में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या वन्य जीव संबंधी संगठन में चिड़ियाघर प्रबंध या वन्य जीव प्रबंध के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी

	उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
लागू नही होता ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
2. मूल्यांकन और मानीटरिंग अधिकारी	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -3 : 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600- रु0	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।	प्रोन्नति : ऐसे वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण** 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-- आवश्यक :

	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में प्राणी विज्ञान या वन्य जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चिड़ियाघर में या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट चिड़ियाघर में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या वन्य जीव संबंधी संगठन में चिड़ियाघर प्रबंध या वन्य जीव प्रबंध के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या वन्य जीव विज्ञान में पीएचडी डिग्री **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 4. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
3. वित्त अधिकारी	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -3 : 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

10	11
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) ऐसे लेखा अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; ऐसे विभागीय लेखाकार पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. निजी सचिव	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,-

	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने जिन्होंने वेतन बैंड-2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या ऐसे विभागीय वैयक्तिक सहायक पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. लेखाकार	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200/- रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

10	11
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

	(ii) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 के 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम ; (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण लिया हो और जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो । ऐसे विभागीय उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होनें उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण लिया हो पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,

	2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. वैयक्तिक सहायक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 2: 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । (ii) आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति और टंकण में 40 शब्द प्रतिमिनट की गति । वांछनीय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष

10	11
सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. आंकड़े प्रक्रमण सहायक श्रेणी 'क'	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र । वांछनीय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में कार्यक्रमण तंत्र संक्रिया और विश्लेषण का एक वर्ष का अनुभव ।

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष

10	11
सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियो से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. मूल्यांकन और मानीटरिंग सहायक	1* (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 2 : 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	अचयन	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में प्राणी विज्ञान या वन्य जीव में बी.एस.सी वांछनीय : (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चिड़ियाघर में या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट चिड़ियाघर में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या वन्य जीव संबंधी संगठन में चिड़ियाघर संबंधी क्रियाकलापों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । (ii) कंप्यूटर उपयोजन का ज्ञान ।

8	9
आयु : नहीं, शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

10	11
प्रोन्नति जिसके ने हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण** 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस

	जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. तकनीकी सहायक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0	लागू नहीं होता	27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में प्राणी विज्ञान या वन्य जीव विज्ञान में बी.एस.सी वांछनीय : (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चिड़ियाघर में या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट चिड़ियाघर में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या वन्य जीव संबंधी संगठन में चिड़ियाघर संबंधी क्रियाकलापों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । (ii) कंप्यूटर उपयोजन का ज्ञान ।

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

10	11
सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200 - 20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या मंत्रालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य । 5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. उच्च श्रेणी लिपिक	*1 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड - 1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0	अचयन	27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य (ii) स्वतंत्र रूप से पत्राचार करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण उत्तीर्ण किया हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10500 के डीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

8	9
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण** 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद, (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर

	आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या मंत्रालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य । 5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
11. अवर श्रेणी लिपिक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900- रु0	लागू नहीं होता	27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता । (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण उत्तीर्ण किया हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10500 के डीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

10	11
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200 - 20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1800 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है ।	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या मंत्रालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य । 5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12. स्टाफ कार ड्राइवर	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900-रु0	लागू नहीं होता	27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य अर्हता । (ii) जिनके पास हल्का और भारी यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो । (iii) नेमी अनुरक्षण, सर्विसिंग कार्य से सुपरिचित होना चाहिए और चालू मरम्मत करने के योग्य होना चाहिए

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

10	11
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200 - 20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1800 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं है ।	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या मंत्रालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य । 5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13. बहु कार्य कर्मचारिवृंद	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' अधिकारी के समतुल्य	वेतन बैंड -1 : 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900 रु0 .	लागू नहीं होता	27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य अर्हता ।

8	9
लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

10	11
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या मंत्रालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य । 5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3-1/2010-सीजेडए]

डॉ. एस. के. खण्डूड़ी, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2012

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 63 read with sub-section (7) of section 38(B) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in supersession of the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Evaluation and Monitoring Officer, Finance Officer, Private Secretary, Accountant, Data Processing Assistant Grade 'A', Personal Assistant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Staff Car Driver and Peon, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the officers and other employees of the Central Zoo Authority, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitments Rules, 2012.

(2) They shall comes into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .**— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of said pasts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Inspector General.	5* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' officer of the Central Government.	Pay band – 4 Rs. 37400-67000 plus grade pay Rs. 8900/-	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, If any.	Method of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Deputation.	Deputation Officers of the Indian Forest Service under the Central Government or State Government, --- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' regular service in pay band – 4: Rs. 37400-67000 plus grade pay Rs. 8700/- ; or (iii) with six years' regular service in pay band - 3: Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 7600/-. and (b) having three years' experience in the field of zoo management or wildlife management in Zoos funded by the Central Government or State Government or in private Zoo recognised by the Central Zoo Authority or in Zoo or Wildlife related organisation recognised by the Central Government or State Government. Note 1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other ogranisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	Not applicable.	Not applicable.

		Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
2. Evaluation and Monitoring Officer.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load	Equivalent to Group 'A' officer of the Central Government.	Pay band – 3 Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.6600/-.	Selection.	Not applicable .	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short - term contract).	Promotion : Scientific Officer with five years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations, --- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Chairman; 2. Member Secretary, Central Zoo Authority – Member ; 3 Joint Director(Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 4. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable.

		(ii) with five years' regular service in pay band – 3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400/- ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- Essential (i) Master Degree in Zoology or Wildlife as a subject from a recognised University or Institute ; (ii) having three years experience in the field of Zoo management or wildlife management in Zoos funded by the Central Government or State Government or in private Zoos recognised by the Central Zoo Authority or in Zoo or Wildlife related organisation recognised by the Central Government or State Government. Desirable Ph. D Degree in Zoology or Wildlife from a recognised University. Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other ogranisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.			

1	2	3	4	5	6	7
3. Finance Officer.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' officer of the Central Government.	Pay band – 3 Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.5400/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion/deputation	Promotion/deputation : Officers of the Central Government or State Government, -- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Accounts Officer with two years' regular services in the pay band – 2: Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800/-; or (iii) Assistant Accounts Officer with three years' regular services in the pay band – 2: Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600/-. The Departmental Accountant with eight years' regular services in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other ogranisation or Department of the Central Government shall	Not applicable.	Not applicable.

			ordinarily not exceed three years. Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on promotion/deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
4. Private Secretary.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' officer of the Central Government.	Pay band - 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4600/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Promotion/ deputation (including short-term contract).	Promotion/deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations, -- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Stenographer with five years' regular services in the pay band – 2: Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200/-. The Departmental Personal Assistant with five years' regular services in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other ogranisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on promotion/deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
5. Accountant.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' officer of the Central Government.	Pay band – 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4200/-	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion/deputation.	Promotion/deputation : Officers of the Central Government or State Government, -- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerk with eight years' regular services in pay band – 1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/-; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) B.Com from a recognised University ; (ii) having undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possessing three years experience of cash, accounts and budget work in an office of the Central Government or State Government. The Departmental Upper Division Clerk with eight years' regular services in the grade who has undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.	Not applicable.	Not applicable.

				Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications Note 4 : For the purpose of appointment on promotion/deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
6. Personal Assistant.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' officer of the Central Government.	Pay band – 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4200/-.	Not applicable.	Upto 30 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : (i) Degree from a recognised University. (ii) A speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting. Desirable : Two years experience as stenographer in Central Government or State Government.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment Note Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. – (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in pay band – 1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs 2800/- , and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman; 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4. Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	8
7. Data Processing Assistant Grade 'A'.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' officer of the Central Government	Pay band – 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4200/-.	Not applicable.	Upto 30 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Isiands or Lakshadweep).	Essential : (i) Degree from a recognised University (ii) Diploma or Certificate in Computer application from an institution recognised by the Central Government or State Government. Desirable : One year experience in programming system operation and analysis in Central Government or State Government.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	By direct recruitment. Note . Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government , -- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years' regular service in pay band – 1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800/- , and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman; 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4 Finance Officer, Central Zoo Authority – Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
8. Evaluation and Monitoring Assistant	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' officer of the Central Government.	Pay band – 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4200/-.	Non-selection.	Upto 30 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : B.Sc. with Zoology or Wildlife as a subject from a recognised University. Desirable : (i) having three years' experience in the field of zoo related activities in Zoos funded by Central Government or State Government or in private zoos recognised by the Central Zoo Authority or in Zoo or Wildlife related organisation recognised by the Central Government or State Government. (ii) Knowledge of Computer Application.

8	9	10	11	12	13
Age - No Educational Qualification Yes	Two years for direct recruits and promotees	Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	By Promotion : Technical Assistant with six years' regular services in the grade. Note 1 . Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of - 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman, 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member , 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4. Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable

			Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation (including short-term contract) : Officials of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations,--- (a) (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) with six years' regular services in pay band –1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800/- ; or (i) with eight years' regular services in the pay band – 1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/- , and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and the similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other ogranisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		

			Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
9. Technical Assistant.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load	Equivalent to Group 'C' officer of the Central Government	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs 2800/-	Not applicable.	Upto 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : B.Sc. with Zoology or Wildlife as a subject from a recognised University Desirable : (i) having three years experience in the field of zoo related activities in Zoos funded by the Central Government or State Government or in private Zoos recognised by the Central Zoo Authority or in Zoo or Wildlife related organisation recognised by the Central Government or State Government (ii) Knowledge of Computer Application

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years' regular service in pay band – 1; Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs 2800/- ; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority -- Chairman; 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member; 4. A Group 'A' officer from any other Department or Ministry of the Central Government – Member ; 5 Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
10. Upper Division Clerk.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'C' officer of the Central Government.	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs.2400/-.	Non-selection.	Upto 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii)At least three year's experience in handling correspondence independently (iii) Should pass type writing in English with a minimum speed of 35 words per minute or in Hindi with a minimum speed of 30 words per minute on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH on an average of 5 Key depression for each work.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years for direct recruits	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Lower Division Clerk with eight years' regular service in the grade. Note 1 Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman ; 2 Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3 Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4. A Group 'A' officer from any other Department or Ministry of the Central Government – Member ; 5. Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicabl

1	2	3	4	5	6	7
11.Lower Division Clerk	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'C' officer of the Central Government.	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs.1900/-	Not applicable.	Upto 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Should pass type writing in English with a minimum speed of 35 words per minute or in Hindi with a minimum speed of 30 words per minute on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH on an average of 5 Key depression for each word.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note : Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, -- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in pay band – 1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800/- ; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman ; 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4. A Group 'A' officer from any other Department or Ministry of the Central Government – Member ; 5. Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
12 Staff Car Driver	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'C' officer of the Central Government	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs 1900/-	Not applicable.	Upto 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note . The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Possessing a valid driving license for light and heavy vehicles. (iii) Must be conversant with routine maintenance, servicing and be able to do running repairs.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, -- (a) (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) with five years' regular service in pay band – 1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800/- ; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1. Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman ; 2. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member ; 3. Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member ; 4. A Group 'A' officer from any other Department or Ministry of the Central Government – Member ; 5. Finance Officer, Central Zoo Authority – Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
13 Multi-Tasking Staff	2* (2012) *Subject to variation dependent on work load	Equivalent to Group 'C' officer of the Central Government	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs 1800/-	Not applicable	Upto 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1 Member Secretary, Central Zoo Authority – Chairman 2 Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests – Member 3 Deputy Inspector General, Central Zoo Authority – Member 4 A Group 'A' officer from any other Department or Ministry of the Central Government – Member 5 Finance Officer, Central Zoo Authority – Member	Not applicable.

[F No 3-1/2010-CZA]

Dr. S. K. KHANDURI, Inspector General of Forests (Wildlife)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054